



2026:AHC: 60088

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या- 4547/2026

सिहान शेख

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : इल्मा नाज़, कन्हैया लाल, मोहम्मद इफ्तिखार
विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या-69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कन्हैया लाल के साथ श्री मोहम्मद इफ्तिखार, और राज्य-प्रत्यर्थियों की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री राधे श्याम को सुना गया और अभिलेख का परिशीलन किया गया।

2- भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत आवेदन, आवेदक की ओर से, विचारण के लंबित रहने के दौरान थाना राजापुर, जिला चित्रकूट में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 115 वर्ष 2025, भा.द.सं. की धारा 34, 419, 420, 465, 467, 468, 471 और आई.टी. अधिनियम की धारा 66सी और 66डी के अंतर्गत उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।

3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस वाद में झूठा फँसाया गया है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद नहीं है और सात सह-अभियुक्तों, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद हैं, उन्हें इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही नियमित जमानत दे दी गई है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विवेचना के दौरान, एक मोहम्मद नौफिल को गिरफ्तार किया गया था और उसके संस्वीकृति कथन में आवेदक का नाम सामने आया है और उसे इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत दे दी गई है। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। 10.01.2026 से कारागार में है, आवेदक यह वचन देता है कि यदि उसे स्वतंत्रता प्रदान की जाती है, तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी इंगित किया गया है कि न्यायालय में वादों के भारी लंबन के मद्देनजर, विचारण के जल्द निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

4- इसके विपरीत विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है और उनके द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि आवेदक का नाम सह-अभियुक्त मोहम्मद नौफिल के बयान में सामने आया है, हालाँकि, आवेदक के कब्जे से 800 सिम और मोबाइल आदि बरामद होने की बात कही गई है।

5- प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार, सात नामजद अभियुक्तों, जिन्हें इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही नियमित जमानत दे दी गई है, के कब्जे से सिम, मोबाइल फोन, आधार कार्ड जैसी विभिन्न आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद होने की बात कही गई है और सह-अभियुक्त मोहम्मद नौफिल को मौके पर गिरफ्तार किया गया था और उसके संस्वीकृति कथन में आवेदक का नाम सामने आया है कि आवेदक ने साइबर धोखाधड़ी के उद्देश्य से 800 सिम कार्ड बेचे हैं। आवेदक 10.01.2026 से कारागार में है।

6- तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और अभिलेख से परिलक्षित साक्ष्य पर विचार करने और अधिनियम की धारा 19(4) के प्रावधान को भी ध्यान में रखने पर और वाद के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7- उपरोक्त मुकदमा अपराध में शामिल आवेदक- **सिहान शेख** की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए 50,000/- रुपये का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की दो प्रतिभूतियां प्रत्येक प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाएगा :-

(i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वाद के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया जा सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(ii) आवेदक अभियोजन के साक्षीगण पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें न ही डराएगा-धमकाएगा।

(iii) आवेदक (i) वाद शुरू होने, (ii) आरोप विरचित करने और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के अंतर्गत बयान दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचन-पत्र दाखिल करेगा कि जब विचारण न्यायालय में साक्षीगण उपस्थित होंगे, तो वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक प्रत्येक नियत तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

8- उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के स्थिति में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9- यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात इस जमानत आवेदन के निर्धारण के प्रयोजन तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से वाद के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में अन्वय नहीं किया जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहते हुए प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्षों पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

23 मार्च, 2026

आरकेएम

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)